विवरण 2ख

सं. अ. 2017-18 और ब.अ. 2018-19 के बीच में व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2018-19 के लिए व्यय का बजट अनुमान संशोधित अनुमान 2017-18 की तुलना में ₹ 2,24,463 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाता है। व्यय की बड़ी मदें, जहां अन्तर आये हैं, नीचे दर्शायी गई हैं:

(₹ करोड़)

		सं.अ. 2017-18	ब.अ. 2018-19	अन्तर बचत(-)/ अधिक(+)
1	राज्यों को अनुदान और ऋण	368585	420133	(+) 51548
2	ब्याज भुगतान	530842	575795	(+) 44953
3	खाद्य सब्सिडी	140282	169323	(+) 29041
4	पेंशन	147387	168466	(+) 21079
5	रक्षा को छोड़कर पूंजी परिव्यय	164006	184681	(+) 20675
6	रक्षा	267108	282733	(+) 15625
7	पुलिस	69704	74866	(+) 5162
8	शिक्षा	38649	40612	(+) 1963
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	17312	19163	(+) 1851
10	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और ऋण	5272	6500	(+) 1228
11	अन्य सब्सिडियां	123843	123502	(-) 341
12	अन्य व्यय	344760	376439	(+) 31679
	कुल व्यय	**2217750**	**2442213**	**(+)224463**

वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है:-

1. जीएसटी लागू करने पर राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान।
2. बाजार ऋणों के अंतर्गत ब्याज के भुगतान के लिए और अधिक आवश्यकता।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए किए गए और अधिक प्रावधान।
4. "रक्षा पेंशन", "सिविल पेंशन" के अंतर्गत अधिक आवश्यकता और भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित दूरसंचार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को देय पेंशन।
5. भारतीय रेल, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, परमाणु ऊर्जा उद्योगों और सड़कों के निर्माण में निवेश के लिए किए गए और अधिक परिव्यय।
6. रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय के लिए अधिक परिव्यय।
7. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बढ़ी हुई आवश्यकता।
8. स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए अधिक परिव्यय।
9. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए अधिक प्रावधान।
10. जीएसटी लागू करने पर संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान।
11. **कमी मुख्यतः** विशेष प्रचालनों के लिए सब्सिडी हेतु किए गए प्रावधानों में कटौती के कारण है।